भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *136

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी और यू-ट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री का प्रभाव

***136. सुश्री कंगना रनौतः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ओटीटी और यू-ट्यूब मंचों पर दिखाई जा रही विषय-वस्तु की जानकारी है जिसका किशोरों और युवाओं पर प्रभाव पड़ता है और किशोर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं और यह भारतीय संस्कृति और भारत के भविष्य के लिए भी उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार की भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त विषय-वस्तु के संबंध में सख्त दिशानिर्देश बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान हैं, जिसके तहत प्रकाशक ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करेगा जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करेगा। संहिता में यह भी प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु के अनुसार अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेगा।

मार्च, 2024 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के प्रावधानों के तहत अश्लील और अशिष्ट (अभद्र) सामग्री के लिए 18 ओटीटी प्लेटफार्मों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इन्हें ब्लॉक किया है।

जहां तक यूट्यूब, फेसबुक, आदि जैसे मध्यवर्ती प्लेटफार्मों पर सामग्री का संबंध है, आईटी नियम, 2021 ऐसे प्लेटफार्मों पर स्वयं उचित प्रयास करने और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को जानबूझकर और साभिप्राय ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित आदि नहीं करने का दायित्व डालता है, जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, शारीरिक गोपनीयता सहित, किसी अन्य की गोपनीयता का उल्लंघन है, लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, अथवा जो बच्चों के लिए हानिकारक है।

****